बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

राजेंद्र सिंह और एक अन्य

24 अगस्त, 2004

[अरिजीत पसायत और डी.एम. धर्माधिकारी, न्यायमूर्तिगण)

न्यायालय की अवमानना :

अवमानना के लिए आवेदन- अवमानना क्षेत्राधिकार- प्रयोग- अभिनिर्धारित: ऐसे आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को इस बात की चिंता होती है कि क्या पहले के निर्णय, जो अंतिम रूप ले चुका है, का अनुपालन किया गया है या नहीं - वह आदेश से आगे नहीं जा सकता - आदेश की सत्यता या असत्यता की जाँच करना या अतिरिक्त निर्देश देना या किसी ऐसे निर्देश को हटाना जो समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के समान होगा, अनुमन्य नहीं है- यदि पक्षकार आदेश से व्यथित है, तो वह या तो उस न्यायालय में जा सकता है जिसने आदेश पारित किया था या अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है।

उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में एक आदेश पारित किया गया था। इसका पालन नहीं किया गया। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता-राज्य के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया की न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है और आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए दर्ज किया गया निष्कर्ष और पुनर्विचार का निर्देश कानूनन संधारणीय नहीं है।

उत्तरदाता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, लेकिन उसे पुनर्विचार का निर्देश नहीं देना चाहिए था बल्कि अवमाननाकर्ता को दंडित करना चाहिए था।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया: 1.1. अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय वास्तव में इस प्रश्न से चिंतित है कि क्या पहले के निर्णय, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है, का अनुपालन किया गया था या नहीं। न्यायालय उस आदेश से आगे नहीं जा सकता, जिसका पालन न करने का आरोप लगाया गया है। अवमानना कार्यवाही में आदेश की सत्यता या असत्यता पर बहस नहीं की जा सकती। वह आदेश की सत्यता या असत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता, न ही अतिरिक्त निर्देश दे सकता है और न ही किसी निर्देश को हटा सकता है। ऐसा करना अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आवेदन पर विचार करते समय समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग होगा। ऐसा करना अनुचित और अप्रतिरोध्य होगा। (739-ए-बी)

1.2. किसी मामले में, भले ही अंततः अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया जाए या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही में राहत न दी जाए, दूसरा पक्ष इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवज्ञा का आधार नहीं बना सकता। सही हो या गलत, आदेश का पालन तो करना ही होगा। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पक्ष अवमानना का उत्तरदायी होगा। यदि कोई संबंधित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरुद्ध है या उसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है, तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करना चाहिए। [739-सी; 738-एच; 739-ए; 738-जी-एच]

1.3. इस मामले में, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, न्यायालय को अपना ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित करना चाहिए था कि इसके परिणामस्वरूप आगे क्या किया गया। इसके बजाय, उसने अपने द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप पुनर्विचार के लिए और निर्देश दिए, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कुछ मामलों में न्यायालय अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का समाधान करने का अवसर दे सकता है। यह उस प्रकृति का मामला नहीं है। वास्तव में, एकल न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर यह माना है कि बोर्ड का निर्णय उचित था और इसलिए पुनर्विचार का निर्देश दिया। इस प्रकार,

उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया जाता है। (739-सी-ई]

के जी डेरासारी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, **[2001] 10 एससीसी 496;** *टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन,* **[1995] 5 एससीसी 619 और** *मोहम्मद इकबाल खांडव बनाम अब्दुल माजिद राथर***, एआईआर (1994) एससी 2252, संदर्भित।**

नियाज़ मोहम्मद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, **[1994] 6 एससीसी 352, विभेदित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2000 की दीवानी अपील सं. 6356

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 23.6.2000 के एम.जे.सी. संख्या 1739/1999 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से बी. बी. सिंह।

उत्तरदाताओं की ओर से राजू रामचंद्रन, ज़ैकी अहमद खान और इरशाद अहमद।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया**:** बिहार राज्य, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील कर रहा है, जिसने यह माना था कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। इस उल्लंघन के परिणाम क्या थे, यह बताए बिना, उसने उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पारित किए गए कथित आदेश पर पुनर्विचार का निर्देश दिया। अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए दर्ज किया गया निष्कर्ष और पुनर्विचार का निर्देश कानूनन संधारणीय नहीं है।

इसके विपरीत, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदक थे, ने दलील दी कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना उचित था कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, लेकिन ऐसा कहने के बाद, उन्हें पुनर्विचार का निर्देश नहीं देना चाहिए था और दूसरी ओर अवमाननाकर्ता को दंडित करना चाहिए था।

अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय वास्तव में इस प्रश्न से चिंतित होता है कि क्या पूर्व निर्णय, जिसे अंतिम रूप प्राप्त हो चुका है, का पालन किया गया था या नहीं। किसी न्यायालय के लिए पूर्व निर्णय की सत्यता की जाँच करना, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी, और पूर्व निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना स्वीकार्य नहीं होगा। *के.जी. देरासरी एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* [2001] 10 एससीसी 496 में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया था। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से उस पक्षकार के अवज्ञाकारी आचरण के प्रश्न से चिंतित होता है, जिस पर निर्णय या आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप है। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी, तो संबंधित पक्ष को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए, यदि उसके अनुसार यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसे प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाना आवश्यक है। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मूल कार्यवाही पर उस तरीके से निर्णय लेने का अधिकार अपने ऊपर नहीं ले सकता जिस तरीके से निर्णय या आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा निपटाया नहीं गया है। हालाँकि बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने *नियाज़ मोहम्मद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य,* [1994] 6 एस.सी.सी. 352 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत अवलंबन किया था, लेकिन हम पाते हैं कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। उस मामले में आदेश का पालन करना असंभव था, इस पर सवाल उठा था। अगर राज्य का यही रुख था, तो कम से कम वह उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले की सत्यता पर सवाल उठा सकता था। राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष बिल्कुल विपरीत रुख अपनाया। एक तो यह कि किसी विशेष कार्य के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं था और दूसरा यह कि जो किया जाना था, वह किया जा चुका है। यदि जो किया जाना था, वह किया जा चुका है, तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आदेशों का पालन करना असंभव था। किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि पूर्व में दिए गए निर्देश का पालन करना असंभव था या दिए गए निर्देश का पालन किया गया है।

निर्देश के क्रियान्वयन की असंभवता के प्रश्न पर, *टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन,* [1995] 5 एससीसी 619 में व्यक्त विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब दावे पर परस्पर निर्णय हो चुका है और वह अंतिम रूप

प्राप्त कर चुका है, तो उत्तरदाता के लिए आदेशों के पीछे जाना और परिणाम को दरकिनार करने के लिए नियमों को दरकिनार करके उनके प्रभाव को कम करना, न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए कानूनी बहाने को वैध बनाना उचित नहीं है।

मोहम्मद इकबाल खांडे बनाम अब्दुल मजीद राथर, एआईआर (1994) एससी 2252 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई पक्ष आदेश से व्यथित है, तो उसे अपीलीय कार्यवाही शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते और अवमानना कार्यवाही शुरू होने के समय कार्यान्वयन की कठिनाइयों के बारे में दलील नहीं दे सकते।

यदि कोई संबंधित पक्ष किसी ऐसे आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरुद्ध है या जिसका कार्यान्वयन न तो व्यावहारिक है और न ही संभव, तो उसे या तो आदेश पारित करने वाले न्यायालय से संपर्क करना चाहिए या अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही या गलत होने पर बहस नहीं की जा सकती। आदेश सही हो या गलत, उसका पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर पक्ष अवमानना का उत्तरदायी होगा। अवमानना के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय उस आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता, जिसका कथित रूप से पालन न करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, वह यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। वह आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता। वह आदेश की सत्यता या असत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता, न ही कोई अतिरिक्त निर्देश दे सकता है और न ही किसी निर्देश को हटा सकता है। अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आवेदन पर विचार करते समय ऐसा करना समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग होगा। यह अस्वीकार्य और अक्षम्य होगा।

किसी वाद में, भले ही अंततः अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया गया हो या मुख्य कार्यवाही में किसी पक्ष को राहत नहीं दी गई हो, तो दूसरा पक्ष इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवज्ञा का आधार नहीं मान सकता।

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, न्यायालय को अपना ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित करना चाहिए था कि इसके परिणामस्वरूप

आगे क्या किया गया। इसके बजाय, उसने अपने द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप पुनर्विचार के लिए और निर्देश दिए। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कुछ मामलों में न्यायालय अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का समाधान करने का अवसर दे सकता है। यह उस प्रकृति का मामला नहीं है। वास्तव में, एकल न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर यह माना है कि महानिदेशक बोर्ड का निर्णय उचित नहीं था और इसलिए मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया।

मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा जाता है। वह इस आवेदन पर कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से विचार करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के आवेदन की स्वीकार्यता या अन्यथा के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है, तथा लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।